



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2003/भाद्र 17, 1925

No. 429]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2003/BHADRA 17, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 714(अ).— स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री आर. के. गुप्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 820/18/2000-पीआईटीएनडीपीएस]

अनिल बहुगुणा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2003

G.S.R. 714(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri R. K. Gupta, Joint Secretary to the Government of India for the purpose of the said section.

[F.No. 820/18/2000-PITNDPS]

ANIL BAHUGUNA, Dy. Secy.